छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2008

तारांकित प्रश्नोत्तर

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत ट्यूबवेल खनन तथा मोटर पंप स्थापना हेतु वितरित राशि

1. (*क्र. 289) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007-08 में रायगढ़ जिला के विभिन्न विकासखण्डों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत ट्यूबवेल खनन एवं मोटर पम्प स्थापना हेतु कितने-कितने रुपये किन-किन समिति अथवा किसानों को दिये गये हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें. (ख) क्या रायगढ़ जिला के पुसौर विकासखण्ड के किसानों द्वारा घटिया किस्म के मोटर पम्प दिये जाने की शिकायत सहायक संचालक उद्यान, रायगढ़ को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री मेघाराम साहू) : (क) वर्ष 2007-08 में रायगढ़ जिले के कुल 7 विकासखंडों-पुसौर, सारंगढ़, बरमकेला, खरसिया, तमनार, घरघोड़ा एवं धर्मजयगढ़ में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत् चयनित क्लस्टरों में हितग्राही कृषकों को ट्यूबवेल खनन एवं मोटर पंप स्थापना हेतु क्रमशः कुल 18.4391 लाख एवं 24.034 लाख अनुदान राशि भुगतान की गई है. विकासखंडवार, समिति/कृषकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) जी हां. रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के कृषक समूहों द्वारा मोटर पंप क्रय की शिकायत सहायक संचालक उद्यान, रायगढ़ को दिनांक 17-12-2007 को स्वयं प्रत्यक्ष में उपस्थित होकर की गई थी. समूह सिंचाई योजना क्रियान्वयन हेतु नियत प्रावधान अनुरूप राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत ट्यूबवेल खनन एवं पंप प्रतिस्थापन हेतु पंप क्रय कृषक समूह द्वारा स्वेच्छा से कराये जाने का प्रावधान है. तद्नुसार ही निम्नानुसार 6 कृषक समूहों के शिकायतकर्ताओं को सहायक संचालक उद्यान, रायगढ़ द्वारा समझाईश दिया गया कि यदि क्रय किये गए मोटर पंप वांछित गुणवत्ता के नहीं है, तो इन मोटर पंपों को बदलने का अधिकार उन्हें ही है, तथा उनके द्वारा संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् पंप एवं पंप प्रतिस्थापन की अनुदान राशि नियमानुसार देय होगी. कृषक समूह द्वारा सहायक संचालक उद्यान की समझाईश पर अमल करते हुए स्वेच्छा से मोटर पंप बदलवाया गया एवं तत्पश्चात् उनके द्वारा संतुष्टि प्रमाण पत्र सहायक संचालक उद्यान, रायगढ़ को प्रस्तुत किया गया. सहायक संचालक उद्यान, रायगढ़ द्वारा प्रावधान अनुरूप कृषक समूहों के संतुष्टि प्रमाण पत्र के आधार पर अनुदान राशि चेक के माध्यम से संबंधित कृषक समूहों के खाते में समायोजन हेतु भुगतान किया गया. भुगतान पश्चात् उन कृषकों की पुनः से कोई शिकायत सहायक संचालक उद्यान कार्यालय, रायगढ़ में लंबित नहीं है.

कृषक समूह की सूची--

1. श्री रंकमणी/लोकनाथ, ग्राम-महलोई
2. श्री योगेन्द्र/माधव बंजारा, ग्राम-महलोई
3. श्री युवराज/नान्हू, ग्राम-महलोई
4. श्री योगेन्द्र/माधो प्रधान, ग्राम-महलोई
5. श्री शौकीलाल/उसतराम, ग्राम-महलोई
6. श्री प्रहलाद/आकुल, ग्राम-महलोई

कृषकों को वितरित गेहूं तथा चना के बीज

2. (*क्र. 335) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007 रबी फसल हेतु बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा किन-किन फसलों हेतु प्रमाणिक बीज बांटा गया ? (ख) विकासखंड धरसींवा में गेहूं व चना का प्रमाणिक बीज कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस दर पर वितरित किया गया ? (ग) क्या यह सत्य है कि धरसींवा विकासखंड में गेहूं बीज से अंकुरण सही नहीं हुआ और खरपतवार हो गया तथा चना का भी अंकुरण नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्या किसानों को मुआवजा दिया गया ?

कृषि मंत्री (श्री मेघाराम साहू) : (क) रबी वर्ष 2007-08 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा गेहूं, चना, मसूर, मटर, अलसी, सरसों, तोरिया, कुसुम, मक्का, मूंग एवं मूंगफली का प्रमाणित बीज वितरित किया गया है. (ख) बीज निगम द्वारा विकासखण्ड धरसींवा में गेहूं का 599.20 क्विंटल तथा चने का 233.00 क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किया गया है. विक्रय दर की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ग) विकासखण्ड धरसींवा के ग्राम निलजा, जरौदा, मटिया एवं पथरी के कृषकों द्वारा की गई शिकायत के परिप्रेक्ष्य में बीज निगम द्वारा संयुक्त निरीक्षण दल गठित किया गया जिसमें बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग एवं बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी सम्मिलित थे. निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार कुछ कृषकों के खेतों में अंकुरण कम पाया गया जिसका कारण कृषकों द्वारा खेत की तैयारी ठीक से नहीं किया जाना तथा खेतों में जल निकासी ठीक से न होना था. इस प्रकार गेहूं बीज की गुणवत्ता के कारण अंकुरण प्रभावित नहीं हुआ. गेहूं बीज में खरपतवार होने के संबंध में निरीक्षण में पाया गया कि गेहूं किस्म जी. डब्ल्यू.-273 में खरपतवार के बीज मानक स्तर से अधिक थे. उक्त निष्कर्ष के आधार पर समिति द्वारा निदानाशक दवाई की उपयोग की सलाह दी गई एवं बीजों की सफाई निदानाशक दवाई की कीमत व्यय सहित रुपये 384.00 प्रति क्विंटल कृषकों को भुगतान की सिफारिश की गई. समिति की अनुशंसा पर बीज निगम द्वारा धरसींवा विकासखण्ड के संबंधित 72 कृषकों के लिए कुल रु. 19,404 का मुआवजा राशि प्रदाय किया गया है. उक्त राशि में से 69 कृषकों को रुपये 18,634 प्रदाय किया गया है. 3 कृषकों द्वारा राशि लेने हेतु मौखिक रूप से इंकार किया गया है. चना बीज में कम अंकुरण की शिकायत प्राप्त नहीं हुई.

चांदो डायवर्सन योजना से सिंचित रकबा

3. (*क्र. 353) **श्री उदय मुदलियार :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले की सिंचाई योजना चांदो डायवर्सन से राजनांदगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने ग्रामों के कितने रकबे की सिंचाई की जानी है ? (ख) वर्ष 2007-08 में इस योजना के अंतर्गत राजनांदगांव विधान सभा क्षेत्र के कितने रकबे की सिंचाई की गई ? (ग) क्या चांदो डायवर्सन का कार्य पूर्ण हो चुका है ? अगर हां, तो कब ? (घ) क्या राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत भी चांदो डायवर्सन के लिए राशि स्वीकृत की गई है, अगर हां, तो कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) राजनांदगांव जिले की चांदो डायवर्सन योजना से राजनांदगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 19 ग्रामों के 3323 हेक्टेयर रकबे की सिंचाई प्रस्तावित है. (ख) वर्ष 2007-08 में इस योजना से राजनांदगांव विधान सभा क्षेत्र के 534 हेक्टेयर रकबे की सिंचाई की गई. (ग) जी हां. कार्य जून, 2002 में पूर्ण हुआ. (घ) जी हां. रु. 23.22 लाख स्वीकृत किया गया है.

जिला दुर्ग में शाकम्भरी योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्य

4. (*क्र. 541) **श्री रविन्द्र चौबे :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में 2007-08 में शाकम्भरी योजना के अंतर्गत कितना लक्ष्य निर्धारित है तथा 31 जनवरी, 2008 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा कितने में स्वीकृति दी गयी है ? (ख) शाकम्भरी योजना अंतर्गत अब तक साजा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या कितनी है ?

कृषि मंत्री (श्री मेघाराम साहू) : (क) शाकम्भरी योजनांतर्गत दुर्ग जिले में वर्ष 2007-08 में निर्धारित लक्ष्य, प्राप्त आवेदन व स्वीकृत आवेदनों का विवरण इस प्रकार है :—

क्र.	घटक	लक्ष्य	दिनांक 31-1-08 तक प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन
1.	पंप	540	270	270
2.	कूप	35	32	32

(ख) शाकम्भरी योजनांतर्गत साजा विधान सभा क्षेत्र में योजना प्रारंभ से अब तक 54 हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं. वर्षवार विवरण इस प्रकार है :—

क्र.	घटक	लाभान्वित हितग्राही संख्या			योग
		2005-06	2006-07	2007-08	
1.	पंप	1	39	14	54
2.	कूप	-	-	-	-

† परिशिष्ट "एक"

किसान समृद्धि योजनांतर्गत लाभान्वित कृषक

5. (*क्र. 548) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसडोल एवं बिलाईगढ़ विकासखण्ड में वित्तीय वर्ष 2007-2008 में कितने कृषकों को किसान समृद्धि योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था ? (ख) कसडोल एवं बिलाईगढ़ विकासखंड में किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2007-2008 में 31-1-2008 कितने कृषकों को लाभान्वित किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री मेघाराम साहू) : (क) किसान समृद्धि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2007-08 में कसडोल विकासखण्ड के 100 कृषकों, एवं बिलाईगढ़ विकासखण्ड के 100 कृषकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है. (ख) किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 में 31-1-2008 तक निम्नानुसार कृषकों को अनुदान प्रदाय कर लाभान्वित किया गया है :—

विकासखण्ड		पूर्व वर्षों के प्रकरणों पर	वित्तीय वर्ष 07-08 के प्रकरणों पर	योग
कसडोल		158	50	208
बिलाईगढ़		162	59	221
	योग	320	109	429

संयंत्र में दुर्घटना से मृत श्रमिकों के आश्रितों को मुआवजा

6. (*क्र. 509) **श्री महेन्द्र कर्मा** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006 एवं 2007 में प्रदेश में संचालित उद्योगों में कार्यरत कितने श्रमिकों की संयंत्र के अंदर घटित दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई है ? (ख) दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को कितना मुआवजा दिया गया ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) 181. (ख) जानकारी निम्नानुसार है :—

(1) 40 श्रमिकों के आश्रितों को रुपये 1,20,84,760-00 आयुक्त, श्रमिक क्षतिपूर्ति द्वारा वितरित.
(2) 09 श्रमिकों के आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा पेंशन प्रदान की जा रही है.
(3) 39 श्रमिकों के आश्रितों के लिए रुपये 1,14,36,507-00 मुआवजे की राशि नियोजकों द्वारा आयुक्त, श्रमिक क्षतिपूर्ति कार्यालय में जमा कराई गई है.
(4) 65 श्रमिकों के प्रकरण आयुक्त, श्रमिक क्षतिपूर्ति (श्रम न्यायालयों) में विचाराधीन है.
(5) 20 श्रमिकों के प्रकरण कर्मचारी राज्य बीमा निगम में विचाराधीन है.
(6) 08 श्रमिकों के मुआवजा प्रकरण आश्रितों से अप्राप्त है.

शाकम्भरी योजनांतर्गत प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदन

7. (*क्र. 538) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में 2007-08 में शाकम्भरी योजना के अंतर्गत कितना लक्ष्य निर्धारित है तथा 31 जनवरी, 2008 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनमें से कितनों को स्वीकृति दी गई है ? (ख) उक्त योजनांतर्गत 2007-2008 के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कोटा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदनों की जानकारी देवें ?

22 फरवरी, 2008]

कृषि मंत्री (श्री मेघाराम साहू) : (क) शाकम्भरी योजनांतर्गत बिलासपुर जिले में वर्ष 2007-08 में निर्धारित लक्ष्य, प्राप्त आवेदनों तथा स्वीकृत आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	घटक	लक्ष्य	दिनांक 31-1-08 तक प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन
1.	पंप	920	1673	1621
2.	कूप	80	217	195

(ख) शाकम्भरी योजनांतर्गत कोटा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2007-08 के निर्धारित लक्ष्य, प्राप्त आवेदनों एवं स्वीकृत आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	घटक	लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन
1.	पंप	123	150	132
2.	कूप	11	47	34

ई. टेण्डर से आमंत्रित निविदा

8. (*क्र. 524) **श्री त्रिलोचन पटेल :** क्या जल संसाधन मंत्री, महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ई. टेण्डर नंबर 811 से किन कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी ? लागत सहित ब्यौरा दें ? (ख) क्या कंडिका ''क'' के टेण्डर के संबंध में विभागीय वेबसाईट का सरवर डाऊन होने की शिकायत इच्छुक निविदाकारों द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) ऑन लाईन कितने निविदाकारों के टेण्डर साइड बताये गये ? इनमें से किसे कार्य आवंटन किया गया और क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) ई-टेण्डर नं. 811 की निविदा कटघोरा व्यपवर्तन योजना के कांक्रीट वियर अण्डर स्लूस क्रेस्ट गेट एवं हेड स्लूस गेट, एफ्लक्स बण्ड एवं अन्य संबंधित निर्माण कार्यों हेतु आमंत्रित की गयी थी जिसकी लागत रु. 970.26 लाख थी. (ख) जी हां. परीक्षणोपरान्त उक्त आमंत्रित निविदा निरस्त कर दी गयी. (ग) उपरोक्त ''ख'' अनुसार जानकारी निरंक.

कोरबा जिले में सिंचाई योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति

9. (*क्र. 527) **श्री बोधराम कंवर :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले की सिंचाई क्षमता कितनी है एवं कितने प्रतिशत है ? विकासखण्डवार सिंचाई क्षमता व सिंचाई प्रतिशत क्या है ? (ख) कोरबा जिले में सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिये किन-किन सिंचाई योजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है ? प्रत्येक की लागत तथा सिंचाई क्षमता क्या है ? कौन-कौन सी योजनाओं का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है और क्या कारण है ? (ग) कौन-कौन सी योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित है ? प्रशासकीय स्वीकृति में विलंब होने का क्या कारण है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) कोरबा जिले की सिंचाई क्षमता 17,397.45 हे. है एवं सिंचाई प्रतिशत 13.50 है. विकासखंडवार सिंचाई क्षमता एवं सिंचाई प्रतिशत † संलग्न प्रपत्र-''अ'' में दर्शित है. (ख) कोरबा जिले में सिंचाई क्षमता में वृद्धि हेतु 26 सिंचाई योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है. प्रत्येक की लागत एवं सिंचाई क्षमता † संलग्न प्रपत्र-''ब'' में दी गई है. इनमें से तीन योजनायें यथा लोटना पारा व्यपवर्तन, तेन्दुवाही व्यपवर्तन एवं मसूरिया जलाशय प्रारंभ नहीं हुई है. योजनाओं के प्रारंभ नहीं होने का कारण तकनीकी स्वीकृति का प्रक्रियाधीन होना है. (ग) हनुमान बांध जलाशय, दीवान नाला व्यपवर्तन एवं नगोई व्यपवर्तन योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. इन योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति पर आदिमजाति कल्याण विभाग/वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

---

† परिशिष्ट ''दो''

रतनजोत पौध रोपण में अनियमितता की शिकायत पर कार्यवाही

10. (*क्र. 23) **डॉ. शक्राजीत नायक :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अंबिकापुर जिले के जनपद पंचायत लुन्ड्रा अंतर्गत एवं बरवाही एवं कर्रा में रतनजोत पौधा रोपण की शिकायत पर उप वनमण्डलाधिकारी धौरपुर, वनमण्डल पूर्वी सरगुजा ने किन-किन अनियमितताओं का उल्लेख जांच रिपोर्ट में किया है ? (ख) दोनों प्रोजेक्ट में कुल कितने-कितने हेक्टेयर में पौधा रोपण स्वीकृत किया गया था ? जांच रिपोर्ट में वास्तविक रोपण कितना-कितना है ? और रोपण नहीं किये गये पौधों की कुल लागत राशि कर्रा एवं बरवाही के प्रोजेक्ट में कितनी-कितनी है ? राशि की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की गयी है और वसूली कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ?

कृषि मंत्री (श्री मेघाराम साहू) : (क) अंबिकापुर जिले के जनपद पंचायत लुन्ड्रा अंतर्गत बटवाही एवं कर्रा में रतनजोत पौध रोपण की शिकायत पर उप वनमण्डलाधिकारी धौरपुर, वनमण्डल पूर्वी सरगुजा द्वारा जांच करते समय कृषि विभाग, जो कि क्रियान्वयन एजेन्सी है, को तलब नहीं किया गया था और जांच में न तो संबंधित शिकायतकर्त्ता और न ही क्रियान्वयन एजेन्सी को सूचित किया गया जिस वजह से जांच में उनके बयान दर्ज नहीं है. जांच प्रथम दृष्टया नैसर्गिक न्याय के विपरीत मालूम होते हुए दिनांक 6-11-2007 की सामान्य सभा, जिला पंचायत की बैठक में जांच में वनमण्डलाधिकारी, पूर्वी सरगुजा को समस्त संबंधित व्यक्तियों एवं एजेंसी को तलब कर पुन: जांच हेतु निर्देशित किया गया है (जांच कमेटी के गठन हेतु जिला पंचायत का पत्र † संलग्न परिशिष्ट पर है). जांच निर्णयात्मक रूप से पूर्ण नहीं हुई है. (ख) ग्राम बटवाही में 360 हेक्टेयर एवं ग्राम कर्रा में 275 हेक्टेयर में इस प्रकार कुल 635 हेक्टेयर में पौध रोपण हेतु कार्य स्वीकृत किया गया है. उप वनमण्डलाधिकारी धौरपुर द्वारा जांच प्रथम दृष्टया नैसर्गिक न्याय के विपरीत मालूम होते हुए दिनांक 6-11-2007 की सामान्य सभा, जिला पंचायत की बैठक में जांच में वनमण्डलाधिकारी, पूर्वी सरगुजा को समस्त संबंधित व्यक्तियों एवं एजेंसी को तलब कर जांच हेतु पुन: निर्देशित किया गया है. अत: वास्तविक रोपण एवं कुल लागत राशि की जानकारी एवं राशि की वसूली हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी जांच के निर्णयात्मक रूप से पूर्ण होने पर ही उपलब्ध करायी जा सकती है.

अदरक, सफेद मुसली व अन्य खेती हेतु किसानों से की गई धोखाधड़ी की जांच

11. (*क्र. 371) **डॉ. बालमुकुन्द देवांगन :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दुर्ग जिले में अदरक, सफेद मुसली व अन्य की खेती हेतु किसानों को ऋण दिलाने के संबंध में की गयी धोखाधड़ी की जांच पूरी की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या जांच एजेंसी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की ? यदि नहीं, तो जांच कब तक पूरी की जावेगी ? (ख) यदि रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तो जांच में किसे दोषी पाया गया है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है, यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी ?

कृषि मंत्री (श्री मेघाराम साहू) : (क) दुर्ग जिले में अदरक, सफेद मुसली एवं अन्य की खेती में किसानों को ऋण दिलाने के संबंध में धोखाधड़ी की शिकायत कृषकों द्वारा विभिन्न थानों में कराई गई थी, जिसमें अपराध क्रमांक 25/06 थाना बेमेतरा, 32/06, 33/06 थाना पाटन, 27/06, 28/06, 29/06, 30/06, 21/06, 32/06, 33/06, 62/06 थाना मोहन नगर, 48/06 थाना बेरला, 14/06, 21/07 थाना साजा की विवेचना थानों द्वारा की जाकर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जा चुका हैं, एवं विचाराधीन है. जबकि अपराध क्रमांक 08/06, 21/06 थाना रानीतराई, 193/06 थाना बालोद, 1/06, 2/06, 3/06, 4/06, 5/06, 6/06, 7/06, 8/06, 9/06, 11/06, 10/06, 20/06 थाना बोरी, 14/06, 21/07 थाना साजा, 17/06, 18/06, 21/06 थाना धमधा में थाना स्तर पर जांच पूर्ण कर शीघ्र ही चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे, प्रथम सूचना रिपोर्टवार (एफ. आई. आर.) अद्यतन स्थिति की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, अथवा थानों में विवेचनाधीन है, अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ख) प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, अथवा थानों में विवेचनाधीन है. अत: शेष उत्तर निरंक है.

वृष्टि छाया योजना अंतर्गत लाभान्वित कृषक

12. (*क्र. 399) **श्री ताम्रध्वज साहू :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमधा विधान सभा क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्रों हेतु लागू किसान समृद्धि योजनांतर्गत कौन-कौन से ग्राम आते हैं ? (ख) क्या किसान समृद्धि योजनांतर्गत कृषकों को नलकूप खनन में छूट दी गई है ? यदि हां, तो कितनी ? (ग) इस योजना में कितने किसान लाभान्वित हुये हैं, तथा कितने प्रकरण लंबित हैं ?

---

† परिशिष्ट ''तीन''

कृषि मंत्री (श्री मेघाराम साहू) : (क) वृष्टि छाया क्षेत्र के लिये संचालित किसान समृद्धि योजना धमधा विधान सभा के सभी 189 ग्रामों में लागू है. धमधा विधान सभा क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) जी हां, किसान समृद्धि योजनांतर्गत कृषकों को नलकूप खनन में छूट (अनुदान) का निम्नानुसार प्रावधान है :—

(1) सामान्य वर्ग के कृषकों के लिये :—

नलकूप खनन पर खनन लागत अथवा रु. 10,000/- जो भी कम हो, तथा सफल नलकूपों पर पंप प्रतिस्थापन हेतु पंप एवं सहायक सामग्री की लागत अथवा रु. 15,000/- जो भी कम हो पात्रता अनुसार अनुदान देय है.

(2) अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के कृषकों के लिये :—

नलकूप खनन पर खनन लागत अथवा रु. 18,000/- जो भी कम हो, तथा सफल नलकूपों पर पंप प्रतिस्थापन हेतु पंप एवं सहायक सामग्री की लागत अथवा रु. 25,000/- जो भी कम हो पात्रता अनुसार अनुदान देय है.

(ग) किसान समृद्धि योजनांतर्गत दिनांक 31-1-2008 की स्थिति में धमधा विधान सभा क्षेत्र के 671 कृषक लाभान्वित हुए हैं एवं 122 किसानों को अनुदान दिया जाना शेष है.

<u>दुपहिया वाहन चालकों हेतु हेलमेट की अनिवार्यता</u>

13. (*क्र. 525) **मोहम्मद अकबर** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन ने दुपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया है. यदि हां तो इस संबंध में अधिसूचना/आदेश कब जारी किये गये ? (ख) 16 जनवरी, 2008 से 1 फरवरी, 2008 तक रायपुर जिले में कितने लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, तथा शास्ति के रूप में कितनी राशि वसूल की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) केन्द्र सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एस. ओ. 368 (ई) दिनांक 22-5-1989 के अनुसार मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 129 के अंतर्गत दो पहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट पहनना 01 जुलाई, 1989 से संपूर्ण भारतवर्ष के लिए प्रभावशील किया गया है, जिसके अंतर्गत हेलमेट पहनना अनिवार्य है. राज्य सरकार द्वारा हेलमेट की अनिवार्यता के संबंध में पृथक से कोई अधिसूचना जारी नहीं किया गया है परन्तु हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को प्रभावशील करने के लिए समय-समय पर शासन एवं परिवहन मुख्यालय तथा पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर क्षेत्र रायपुर द्वारा आदेश/निर्देश जारी किये गये हैं, उसका विवरण पृथक से † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) दिनांक 16 जनवरी, 2008 से 1 फरवरी, 2008 तक रायपुर जिले में 2642 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, जिनमें से 2567 लोगों से रु. 2,56,700/- (रुपये दो लाख छप्पन हजार सात सौ) राशि शास्ति के रूप में वसूल की गई है, तथा 75 लोगों के प्रकरण लंबित है.

<u>जमीन/वृक्ष के मुआवजा के लंबित प्रकरण</u>

14. (*क्र. 224) **श्री नोवेल कुमार वर्मा** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र.-66) दिनांक 12 जुलाई, 2007 के उत्तर के भाग (क) में दी गई जानकारी अनुसार 31-1-2008 की स्थिति में लघु सिंचाई परियोजना डभरा में जमीन/वृक्ष के मुआवजा हेतु लंबित प्रकरण कितने हैं ? (ख) घटोई जलाशय एवं बांधापाली जलाशय में डूबान क्षेत्र में आने वाले जमीन/वृक्ष के मुआवजा भुगतान हेतु कितने प्रकरण लंबित हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1 दिनांक 12 जुलाई 2007 में दिये गये उत्तर के भाग "क" में दी गई जानकारी अनुसार विकासखंड डभरा, जिला जांजगीर-चांपा में लघु सिंचाई परियोजनाओं के कुल लंबित 21 भू-अर्जन प्रकरणों में से दिनांक 31-1-2008 की स्थिति में 9 प्रकरण में मुआवजा दर कम होने के कारण कृषकों के उपस्थित न होने तथा 12 प्रकरण निर्धारित समय सीमा में भू-अर्जन की कार्यवाही न होने के कारण एवं कालातीत हो जाने के फलस्वरूप मुआवजा हेतु लंबित है. वृक्षों का मुआवजा प्रकरण लंबित नहीं है. (ख) घटोई जलाशय के 6 भू-अर्जन प्रकरण मुआवजा भुगतान हेतु लंबित है. बांधापाली जलाशय का भू-अर्जन प्रकरण लंबित नहीं है. दोनों जलाशयों के वृक्ष का मुआवजा प्रकरण लंबित नहीं है.

---

† परिशिष्ट "चार"

आदिवासी परिवारों को गाय वितरण

15. (*क्र. 420) **श्री भूपेश बघेल :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन के द्वारा आदिवासी परिवारों को भारतीय नस्ल की गाय मुफ्त बांटने का जिम्मा एन. डी. डी. बी. को सौंपा गया है ? यदि हां, तो वर्ष 2004 से 31-01-2008 तक कितनी गाय खरीदी गई और कितनी बांटी गई तथा कितनी बांटना शेष है ? (ख) राज्य शासन द्वारा बजट में कुल कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान था और कितनी राशि खर्च की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री मेघाराम साहू) : (क) जी हां, वर्ष 2004 से 31-01-2008 तक 15994 गाय खरीद कर बाटी गई तथा विकल्प के रूप में बैलजोड़ी वितरण प्रारंभ है. (ख) राज्य शासन द्वारा स्वीकृत प्रास्पेक्टिव प्लान अनुसार रु. 107.29 करोड़ खर्च करने का प्रावधान था, जिसमें गाय वितरण हेतु रु. 30.35 करोड़ खर्च किया गया.

दवाई/उपकरण खरीदी के संबंध में

16. (*क्र. 519) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006-07 में संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें की ओर से किन-किन कंपनियों/फर्मों से दवाईयां एवं उपकरण खरीदे गये, राशि सहित ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका "क" की कंपनियों/फर्मों ने एम. आर. पी. पर कितने प्रतिशत की छूट दी ? (ग) क्या कंडिका "ख" की छूट अन्य राज्यों में अधिक दिये जाने की जानकारी/शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो संबंधित फर्मों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री मेघाराम साहू) : (क) वर्ष 2006-07 में संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा क्रय की गई दवाईयों एवं उपकरणों का कंपनी/फर्मवार राशि सहित ब्यौरा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" में है. (ख) कंडिका "क" की कंपनियों/फर्मों ने एम. आर. पी. पर औसतन 30.39 प्रतिशत की छूट दी है. विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" में है. (ग) जी हां. संबंधित फर्मों के खिलाफ की गई कार्यवाही विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" में है.

बाढ़ नियंत्रण तटबंध दीवाल निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत राशि

17. (*क्र. 242) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या जल संसाधन मंत्री, महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले की मेघा एवं बुड़ेनी, नवागांव में जल संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रा. रोजगार गारंटी योजना के मद से बाढ़ नियंत्रण तटबंध दीवाल निर्माण कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में स्वीकृत किए गए हैं ? (ख) प्रश्नांक (क) में वर्णित कार्यों में से कितनी-कितनी मात्रा में मिट्टी के कार्य एवं मिट्टी का कांपेक्शन का कार्य कराया गया है ? (ग) काम्पेक्शन का कार्य कराने हेतु कितना-कितना भुगतान, किन-किन व्यक्ति या फर्मों से कराया जाकर किया गया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) धमतरी जिले के ग्राम-मेघा एवं बुड़ेनी नवागांव में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 में बाढ़ नियंत्रण तटबंध निर्माण हेतु कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है. वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत ग्राम मेघा में तटबंध निर्माण हेतु क्रमश: आर. डी. 1200 मी. से 1350 मी. तक रु. 18.60 लाख एवं आर. डी. 1350 मी. से 1530 मी. तक रु. 19.82 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है. वर्ष 2007-08 में ग्राम बुड़ेनी नवागांव में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत बाढ़ नियंत्रण तटबंध निर्माण हेतु कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है. (ख) उपरोक्त "क" में वर्णित कार्यों में अभी तक मिट्टी का कार्य एवं मिट्टी का कांपेक्शन का कोई कार्य नहीं किया गया है. (ग) उपरोक "ख" के अनुसार कांपेक्शन कार्य हेतु कोई भी भुगतान नहीं किया गया है.

स्प्रिंकलर एवं ड्रीप सिंचाई उपकरण वितरण हेतु चयनित कृषक

18. (*क्र. 316) **श्री चुरावन मंगेशकर :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत किसानों को अनुदान पर स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई उपकरण बांटने हेतु किस-किस विकासखण्ड का चयन किया गया है ? (ख) वर्ष 2007 में कितने किसानों का चयन स्प्रिंकलर सेट तथा ड्रिप सिंचाई उपकरण पर अनुदान बांटने हेतु लिया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री मेघाराम साहू) : (क) सूक्ष्म सिंचाई योजना अन्तर्गत किसानों को अनुदान पर स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई उपकरण बांटने हेतु बिलासपुर जिले के सभी विकासखण्डों को चयनित किया गया है. (ख) वर्ष 2007 में योजनांतर्गत स्प्रिंकलर सेट तथा ड्रिप सिंचाई उपकरण बांटने हेतु कुल 2982 कृषकों को चयनित किया गया है.

प्रदेश में स्थापित औद्योगिक हाइजिन प्रयोगशाला

19. (*क्र. 255) **डॉ. चेतन वर्मा :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किन-किन औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक हाईजिन प्रयोगशाला स्थापित है ? (ख) प्रश्नांक (क) के अंतर्गत औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं श्रम कल्याण के संबंध में प्रचलित कानून/नियम के अंतर्गत विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में किया गया ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में प्रदेश के किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक हाईजिन लैब स्थापित नहीं है. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

रायगढ़ जिला में दुग्ध डेयरी संयंत्रों की जानकारी

20. (*क्र. 291) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में दुग्ध उत्पादन हेतु किन-किन स्थानों में डेयरी संयंत्र एवं दुग्ध केन्द्र स्थापित किये गये हैं ? जनपद पंचायतवार केन्द्रों की जानकारी दें ? (ख) जिले में दुग्ध पाश्चुरीकरण हेतु संयंत्र की स्थापना किन-किन स्थानों में संचालित हैं ?

कृषि मंत्री (श्री मेघाराम साहू) : (क) रायगढ़ जिले में दुग्ध उत्पादन हेतु कोई भी डेयरी संयंत्र एवं दुग्ध केन्द्र स्थापित नहीं है. (ख) जिला मुख्यालय रायगढ़ में दुग्ध पाश्चुरिकरण हेतु संयंत्र स्थापित है.

किसान समृद्धि तथा शाकम्भरी योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन

21. (*क्र. 352) **श्री उदय मुदलियार :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान समृद्धि योजना एवं शाकम्भरी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-2007 एवं 2007-08 में राजनांदगांव जिले एवं दुर्ग जिले में कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए ? (ख) कितने लाभार्थियों को लाभ दिया गया ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

कृषि मंत्री (श्री मेघाराम साहू) : (क) किसान समृद्धि एवं शाकम्भरी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में राजनांदगांव एवं दुर्ग जिले में 31-01-2008 तक निम्नानुसार आवेदन प्राप्त हुए :—

क्र.	जिला	किसान समृद्धि योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन		शाकम्भरी योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन			
		वर्ष 2006-07	वर्ष 2007-08	वर्ष 2006-07		वर्ष 2007-08	
				पम्प	कूप	पम्प	कूप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	राजनांदगांव	1102	541	369	38	341	9
2.	दुर्ग	989	562	381	63	270	32
	योग	**2091**	**1103**	**750**	**101**	**611**	**41**

(ख) वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में प्राप्त आवेदनों में से 31-01-08 तक निम्नानुसार कृषकों को अनुदान से लाभान्वित किया गया, विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है.

क्र.	जिला	31-01-08 तक अनुदान से लाभान्वित कृषकों की संख्या					
		किसान समृद्धि योजनांतर्गत		शाकम्भरी योजनांतर्गत			
		वर्ष 2006-07 के प्राप्त आवेदन में से	वर्ष 2007-08 के प्राप्त आवेदन में से	वर्ष 2006-07 के प्राप्त आवेदन में से		वर्ष 2007-08 के प्राप्त आवेदन में से	
				पम्प	कूप	पम्प	कूप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	राजनांदगांव	672	24	286	9	202	3

† परिशिष्ट "पांच"

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	दुर्ग	674	110	225	12	36	0
	योग	**1346**	**134**	**511**	**21**	**238**	**3**

बैगा प्रोजेक्ट अंतर्गत प्राप्त आवंटन एवं व्यय

22. (*क्र. 542) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग को बैगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2005-2006 एवं 2006-2007 में कवर्धा जिले को कितना-कितना आवंटन प्रदाय किया गया है ? (ख) बैगा प्रोजेक्ट के लिए प्राप्त आवंटन में से कितना-कितना वर्षवार व्यय किया गया मदवार जानकारी दीजिए ?

कृषि मंत्री (श्री मेघाराम साहू) : (क) बैगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत कवर्धा जिले में कृषि विभाग को वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 में प्राप्त आवंटन का विवरण इस प्रकार है :—

क्र.	वर्ष	कृषि	उद्यानिकी	योग
1.	2005-06	रु. 8,72,000	रु. 8,00,000	रु. 16,72,000
2.	2006-07	रु. 1,17,01,800	निरंक	रु. 1,17,01,800

(ख) बैगा प्रोजेक्ट अंतर्गत कृषि हेतु प्राप्त आवंटन में से वर्षवार निम्नानुसार कार्यों के लिए व्यय किया गया :—

वर्ष	कार्य	
	कृषि कार्य (फसल प्रोत्साहन)	भूमि संरक्षण (भूमि सुधार एवं निर्माण कार्य)
2005-06	6,00,000	2,72,000
2006-07	36,84,536	48,55,665
योग	**42,84,536**	**51,27,665**

बैगा प्रोजेक्ट अंतर्गत उद्यानिकी हेतु प्राप्त आवंटन में से वर्षवार निम्नानुसार कार्यों के लिए व्यय किया गया :—

क्र.	वर्ष	कार्य का नाम	व्यय
1.	2005-06	1. मुनगा रोपण	2,96,314
		2. फल पौध रोपण	1,25,000
		3. सब्जी बीज मिनीकिट	3,75,000
		योग	**7,96,314**
2.	2006-07	निरंक	-

उद्योगों में दुर्घटना से मृत श्रमिकों के आश्रितों को प्रदत्त सहायता

23. (*क्र. 526) **मोहम्मद अकबर** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्रों भनपुरी, उरला व सिलतरा के किन-किन कारखानों में वर्ष 2006-07 व 2008 में दुर्घटनाओं में कितने-कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई है ?

क्या इन सभी श्रमिकों का बीमा कराया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ख) उक्त मृत श्रमिकों के परिजनों को क्या-क्या राहत प्रदान की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है. माह जनवरी 2008 तक कुल 53 दुर्घटनाओं में 62 श्रमिकों की मृत्यु हुई. जी नहीं. मृत 30 श्रमिकों का बीमा नहीं था. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत श्रमिकों का बीमा कराने का दायित्व नियोजक का है. (ख) जानकारी निम्नानुसार है :—

1.	मृत 05 श्रमिकों के आश्रितों को भुगतान की गई मुआवजा राशि	रुपये 13,19,886/-
2.	मृत 14 श्रमिकों के आश्रितों की मुआवजा राशि आयुक्त, श्रमिक क्षतिपूर्ति श्रम न्यायालय में नियोजकों द्वारा जमा करा दी गई है.	रुपये 43,43,257/-
3.	मृत 09 श्रमिकों के आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा द्वारा पेंशन दी जा रही है.	
4.	मृत 18 श्रमिकों के आश्रितों के पेंशन प्रकरण कर्मचारी राज्य बीमा निगम में विचाराधीन है.	
5.	मृत 16 श्रमिकों के आश्रितों के राहत/मुआवजा प्रकरण श्रम न्यायालयों में विचाराधीन है.	
	कुल मृत श्रमिक 62	

पशु औषधियों की खरीदी

24. (*क्र. 508) **श्री महेन्द्र कर्मा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पशुपालन विभाग द्वारा वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 में कितनी राशि की पशु औषधियों का क्रय किया गया ? फर्मों के नाम व पते, दवाईयों के नाम एवं दर तथा राशि की जानकारी देवें ? (ख) क्या पशु औषधियों के क्रय में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री मेघाराम साहू) : (क) पशुपालन विभाग द्वारा वर्ष 2005-06 में राशि रुपये 288.26 लाख, वर्ष 2006-07 में राशि रु. 665.92 लाख एवं वर्ष 2007-08 में राशि रु. 572.83 लाख (माह जनवरी, 2008 तक) की औषधियों का क्रय किया गया. फर्मों के नाम व पते दवाईयों के नाम एवं दर तथा राशि का विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है. (ख) जी हां.

नकली खाद एवं दवाईयों की बिक्री के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

25. (*क्र. 241) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. प्रदेश में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में नकली रासायनिक एवं उर्वरक खादों एवं दवाईयों की बिक्री के कितने प्रकरण बनाए गए ? कृपया जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) वर्णित प्रकरणों में किन-किन फर्मों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री मेघाराम साहू) : (क) प्रदेश में वर्ष 2006-07 में नकली रासायनिक खाद का एक प्रकरण जिला राजनांदगांव से पाया गया था. इसके अतिरिक्त वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में नकली रासायनिक एवं उर्वरक खादों एवं दवाईयों के प्रकरण नहीं पाये गये हैं. (ख) बालाजी स्टील एवं कृषि केन्द्र, कुआ चौक, नंदई, राजनांदगांव द्वारा नकली खाद निर्माण के प्रकरण में विभाग द्वारा एफ. आई. आर. क्रमांक-348 दिनांक 13-07-2006 दर्ज कराई गई थी. वर्तमान में उक्त प्रकरण मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी राजनांदगांव के न्यायालय में विचाराधीन है.

----

† परिशिष्ट "छः"

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 335) के भाग (ख) की जानकारी]

विकास खण्ड घरसींवा में गेहूं एवं चना बीज वितरण की मात्रा एवं विक्रय दर

क्र.	फसल	विवरण	प्रमाणित बीज वितरण	
			मात्रा (क्वि. में)	दर प्रति क्विं (रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गेहूं	ऊंची किस्म	260.80	2050.00
		बौनी किस्म	338.40	1800.00
		योग गेहूं	**599.20**	
2.	चना		233.00	3320.00
		कुल योग	**832.20**	

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 527) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

विकास खण्डवार सिंचाई योजनाओं की जानकारी एवं प्रतिशत

स. क्र.	विकास खण्ड का नाम	निरा बोया क्षेत्र	निर्मित योजनाएं			अभियुक्ति
			संख्या	रूपांकित सिंचाई क्षमता	सिंचाई का प्रतिशत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कटघोरा	17850	5	1533.00	8.59	
2.	करतला	30140	7	8338.45	27.67	
3.	पोड़ी-उपरोड़ा	29550	7	1963.00	6.64	
4.	पाली	29500	19	3166.00	10.73	
5.	कोरबा	21850	4	2397.00	10.97	
	योग	128890	42	17397.45	13.50	

प्रपत्र "ब"

निर्माणाधीन योजनाओं की जानकारी

माह 1/08

(क्षमता हे. में राशि रु. लाख में)

क्र.	योजना का नाम	विकास खण्ड	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	स्वीकृति का दिनांक	रूपांकित क्षमता	वर्तमान लागत	बजट अनुमान 07-08	3/2007 तक व्यय	वित्तीय वर्ष में व्यय 01/2008	निर्मित क्षमता	भौतिक प्रगति शीर्ष कार्य	भौतिक प्रगति नहर कार्य	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	सुखरी जलाशय	पोड़ीउप.	24.80	28-11-77	745	495.41	1.00	26.50	-	-	40%	-	पुनरीक्षित प्राक्कलन अ. अभि. के पत्र क्र. 7364/ कार्य/3/16 बिलासपुर दिनांक 31-12-07 द्वारा मु. अ. को प्रेषित.
2.	रामपुर जलाशय	पोड़ीउप.	1800.82	28-04-05	2004	1800.82	200.00	11.24	1.672	-	-	-	तक. स्वी. प्राप्त, 742.79 लाख की निविदा की गई है.
3.	तुमान स्टापडेम	पोड़ीउप.	41.28	31-03-06	40	41.28	2.00	17.03	9.86	-	60%	-	कार्य प्रगति पर है. माह मार्च 2008 तक पूर्ण कर ली जावेगी.
4.	पुटवा स्टापडेम	पोड़ीउप.	29.96	31-03-06	36	29.96	15.00	9.38	16.965	-	80%	-	कार्य प्रगति पर है. माह मार्च 2008 तक पूर्ण कर ली जावेगी.
5.	डौकाबुड़ा जलाशय	पोड़ीउप.	85.61	27-12-04	105	85.61	30.00	57.66	6.054	-	98%	10%	कार्य प्रगति पर है. माह मार्च 2008 तक पूर्ण कर ली जावेगी.
6.	कोल्गा जलाशय	कोरबा	263.14	23-03-06	314	263.14	80.00	-	1.11	-	-	-	प्राक्कलन स्वी. रु. 189.96 लाख का कार्य प्रगति पर है.
7.	सिमकेंदा जलाशय	कोरबा	208.01	28-09-04	354	399.00	80.00	128.77	30.065	-	70%	-	कार्य प्रगति पर है. पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8.	कक्रमौहा जलाशय	कोरबा	299.80	04-09-06	304	299.80	50.00	-	0.526	-	-	-	प्राक्कलन स्वी. रु. 168.11 लाख का कार्य प्रगति पर है.
9.	चीताखोल जलाशय	करतला	165.28	23-03-06	162	165.28	80.00	43.29	37.348	-	20%	-	कार्य प्रगति पर है.
10.	कोथारी जलाशय	करतला	20.25	20-10-76	312	250.33	1.00	66.41	-	-	80%	50%	मु. अ. के पत्र क्र. 10/आर. बी./एम. जी./76 दिनांक 07-08-2004.
11.	बोकरदा जलाशय	करतला	101.35	7-12-02	134	176.00	20.00	137.83	0.39	-	80%	-	कार्य प्रगति पर है, पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत.
12.	उतरदा जलाशय	पाली	21.60	6-06-85	154	153.38	80.00	28.65	-	-	54%	-	वित्त विभाग के बजट में जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है.
13.	लोटनापारा व्यप.	पाली	386.46	21-01-08	485	386.46	50.00	-	-	-	-	-	तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है.
14.	भलपहरी जलाशय	पाली	19.56	6-06-85	154	97.12	50.00	23.80	54.073	-	60%	30	कार्य प्रगति पर है.
15.	रंगोले जलाशय	पाली	93.74	3-06-05	130	93.74	70.00	5.03	-	-	-	-	तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है. स्थल पर ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है.
16.	बनमुड़ा जलाशय	पाली	5.80	31-03-95	243	48.71	10.00	46.37	19.382	-	90%	50	कार्य पूर्ण.
17.	मानिकपुर जलाशय	पाली	135.12	6-12-04	205	293.85	30.00	119.27	22.89	-	80%	-	कार्य प्रगति पर है.
18.	सैतमा व्यपवर्तन	पाली	209.92	23-05-06	275	209.92	60.00	90.00	69.812	-	80%	-	कार्य प्रगति पर है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
19.	नवापारा व्यपवर्तन	पाली	83.030	31-03-06	106	83.30	30.00	45.00	23.475	-	80%	-	कार्य प्रगति पर है.
20.	धौराभाठा जलाशय	पाली	242.49	10-05-06	400	242.49	60.00	26.26	23.876	-	40%	-	कार्य प्रगति पर है.
21.	धवननाला व्यपवर्तन	कोरबा	194.19	09-10-06	300	194.19	100.00	1.94	0.256	-	-	-	कार्य प्रगति पर है.
22.	गंगदेई व्यपवर्तन	कटघोरा	324.82	05-12-06	421	324.82	50.00	4.46	1.28	-	-	-	कार्य प्रगति पर है.
23.	कटघोरा व्यपवर्तन	कटघोरा	1519.94	19-07-06	1991	1519.94	-	-	9.943	-	-	-	प्राक्कलन स्वी. 970.26 लाख की निविदा प्राप्त है. निविदा स्वी. की कार्यवाही की जा रही है.
24.	तेन्दुवाही व्यप.	कटघोरा	152.99	21-01-08	192	152.99	20.00	-	-	-	-	-	तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है.
25.	मसूरिया जलाशय	पाली	195.11	14-02-08	200	195.11	50.00	-	-	-	-	-	तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा प्रक्रिया की कार्यवाही की जा रही है.
	योग (लघु)	-	**6625.34**	-	**9766.00**	**8002.11**	**1219.00**	**888.89**	**328.96**		-	-	-
26.	मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना	करतला/ कटघोरा	131232.00	16-05-05	4632.45	155111.00	10540.00	111558.00	4098.92	6071.45	100%	90%	-
	महायोग	-	**137857.34**	-	**14398.45**	**163113.11**	**11759.00**	**112446.89**	**4427.88**	**6071.45**		-	-

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 23) के भाग (क) की जानकारी]

कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा अम्बिकापुर (छ. ग.)

आदेश

अम्बिकापुर, दिनांक 20-12-2007

क्रमांक/10342/बैठक/जि. पं./2007 : दिनांक 17-12-2007 को आयोजित जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार जनपद पंचायत लुंड्रा में ग्राम बटवाही, करां एवं वादा में कृषि विभाग द्वारा किए गये रतनजोत पौधरोपण कार्य की विस्तृत जांच के लिए निम्नानुसार जांच कमेटी गठित की जाती है.

1. श्री एस. एल. सोनी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत-अध्यक्ष,
2. वनमंडलाधिकारी पूर्वी वनमंडल अम्बिकापुर-सदस्य,
3. श्री यू. पी. तिवारी कार्यपालन अभियंता प्र. मं. ग्रा. स. यो. सूरजपुर-सदस्य,
4. श्री अखिलेश सोनी माननीय सभापति वन स्थाई समिति-सदस्य,
5. श्री रामखेलावन शास्त्री माननीय सभापति संचार एवं संकर्म समिति-सदस्य,
6. श्री गोपाल शरण सिंह माननीय जिला पंचायत सदस्य-सदस्य,
7. श्री राहूल जयसवाल माननीय जिला पंचायत सदस्य-सदस्य,

उपरोक्तानुसार गठित जांच कमेटी द्वारा संयुक्त जांच किया जा कर 05-01-2008 के भीतर पूर्ण जांच प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अम्बिकापुर के समक्ष प्रस्तुत करें. जांच कमेटी द्वारा स्थल पर जांच के दौरान उप संचालक कृषि तथा उस क्षेत्र के माननीय जिला पंचायत सदस्य को अनिवार्यत: उपस्थित होने हेतु सूचित करें.

हस्ता./-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत सरगुजा

पृ. क्रमांक/10343/बैठक/जि. पं./2007-2008 अम्बिकापुर, दिनांक 20-12-2007

प्रतिलिपि :-

1. माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत अम्बिकापुर,
2. श्री एस. एल. सोनी, अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अम्बिकापुर,
3. वनमंडलाधिकारी पूर्वी वनमंडल अम्बिकापुर,
4. श्री यू. पी. तिवारी, कार्यपालन अभियंता प्र. मं. ग्रा. स. यो. सूरजपुर,
5. उप संचालक कृषि अम्बिकापुर,
6. श्री अखिलेश सोनी, माननीय सभापति वन स्थाई समिति-सदस्य,
7. श्री रामखेलावन शास्त्री, माननीय सभापति संचार एवं संकर्म समिति-सदस्य,
8. श्री गोपाल शरण सिंह, माननीय जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र सूरजपुर-सदस्य,
9. श्री राहूल जयसवाल माननीय जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र लखनपुर-सदस्य,
10. श्रीमति मधु सिंह माननीय सदस्या जिला पंचायत क्षेत्र लुंड्रा.

सही/-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत सरगुजा

कार्यालय उप संचालक कृषि अम्बिकापुर (सरगुजा) छ. ग.

क्रमांक/टी-6-07-08/8895 दिनांक 27-12-07

प्रतिलिपि :- सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

हस्ता./-

उप संचालक कृषि

अम्बिकापुर (सरगुजा) छ. ग.

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 525) के भाग (क) की जानकारी]

हेलमेट की अनिवार्यता को प्रभावशील करने हेतु शासन/परिवहन मुख्यालय तथा पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर क्षेत्र रायपुर से जारी किये गये निर्देश

1. परिवहन आयुक्त कार्यालय से पत्र क्रमांक-3057, दिनांक 16-10-2001 से छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त कलेक्टर, समस्त पुलिस अधीक्षक एवं समस्त परिवहन अधिकारियों को दिये गये पत्र.

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं परिवहन, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पत्र क्रमांक-2167, दिनांक 20-09-2005 से राज्य के समस्त पुलिस अधीक्षकों एवं समस्त परिवहन अधिकारियों को हेलमेट की अनिवार्यता को प्रभावशील करने हेतु जारी किये निर्देश.

3. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर क्षेत्र रायपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 4972/2005 दिनांक 4-10-2005 से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर, दुर्ग एवं पुलिस अधीक्षक, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, कबीरधाम को हेलमेट की अनिवार्यता को प्रभावशील करने हेतु जारी किये गये निर्देश.

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 352) के भाग (ख) की जानकारी]

किसान समृद्धि एवं शाकम्भरी योजनांतर्गत दुर्ग एवं राजनांदगांव जिले के वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में प्राप्त आवेदनों में से 31-01-2008 तक अनुदान से लाभान्वित कृषकों की संख्या

क्र.	जिला	विकासखण्ड	किसान समृद्धि योजनांतर्गत लाभान्वित कृषक			शाकम्भरी योजनांतर्गत लाभान्वित कृषक					
			वर्ष 2006-07 के प्राप्त आवेदन में से	वर्ष 2007-08 के प्राप्त आवेदन में से	योग	वर्ष 2006-07 के प्राप्त आवेदन में से		वर्ष 2007-08 के प्राप्त आवेदन में से		योग	
						पम्प	कूप	पम्प	कूप	पम्प	कूप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	136	15	151	44	1	30	0	74	1
2.		खैरागढ़	207	2	209	9	2	17	0	26	2
3.		डोंगरगढ़	155	0	155	52	0	30	0	82	0
4.		छुईखदान	90	3	93	32	6	6	3	38	9
5.		डोंगरगांव	84	4	88	8	0	19	0	27	0
6.		छुरिया				9	0	28	0	37	0
7.		चौकी				36	0	23	0	59	0
8.		मोहला		योजना लागू नहीं		30	0	8	0	38	0
9.		मानपुर				66	0	41	0	107	0
		योग	**672**	**24**	**696**	**286**	**9**	**202**	**3**	**488**	**12**
1.	दुर्ग	दुर्ग	156	9	165	29	5	2	0	31	5
2.		पाटन	योजना लागू नहीं			15	0	8	0	23	0
3.		धमधा	103	15	118	21	0	1	0	22	0
4.		गुण्डरदेही	योजना लागू नहीं			9	0	7	0	16	0
5.		बेमेतरा	132	18	150	23	0	0	0	23	0
6.		साजा	114	43	157	19	0	9	0	28	0
7.		बेरला	51	4	55	27	0	0	0	27	0
8.		नवागढ़	118	21	139	20	0	6	0	26	0
9.		बालोद				8	0	0	0	8	0
10.		गुरूर				9	4	0	0	9	4
11.		डौंडी लोहारा		योजना लागू नहीं		14	0	1	0	15	0
12.		डौंडी				31	3	2	0	33	3
		योग	**674**	**110**	**784**	**225**	**12**	**36**	**0**	**261**	**12**
		महायोग	**1346**	**134**	**1480**	**511**	**21**	**238**	**3**	**749**	**24**

परिशिष्ट "छ:"

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 526) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष (1)	क्र. (2)	कारखाने का नाम एवं पता (3)	दुर्घटनाओं की संख्या (4)	मृत श्रमिकों की संख्या (5)
2006	1.	एस. के. सरावगी एंड कं. (प्रा.) लि., सिलतरा, फेस II, रायपुर	01	01
	2.	महेन्द्रा स्ट्रीप्स प्रा. लि., सरोरा, रिंग रोड नं. 2, रायपुर	01	01
	3.	विंध्यवासिनी इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., उरला, रायपुर	01	01
	4.	मे. एस. के. एस. इस्पात लिमिटेड सिलतरा, फेस II, रायपुर	03	03
	5.	वन्दना ग्लोबल लिमिटेड, सिलतरा, फेस II, रायपुर	01	01
	6.	ए. पी. आई. इस्पात एंड पावरटेक प्रा. लि., सिलतरा,फेस II, रायपुर	01	01
	7.	एस. आर. इनगाट्स प्रा. लिमि.,सिलतरा, फेस II, रायपुर	01	01
	8.	वंदना इस्पात प्रा. लिमि., उरला औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर	01	01
	9.	रायपुर एलॉयस एण्ड स्टील लिमि.,सिलतरा, फेस I, रायपुर	01	01
	10.	गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमि., सिलतरा, फेस I, रायपुर	02	02
	11.	बलदेव एलायज प्रा. लि., ख़िमाही रोड, सिलतरा रायपुर	01	01
	12.	नव दुर्गा इस्पात प्रा. लि., उरला, रायपुर छ. ग.	01	01
	13.	हीरा फेरो एलायस लि., यूनिट 2, उरला, रायपुर	02	02
	14.	इन्ड शील एनर्जी एण्ड इलेक्ट्रोकेमिल्स लि., उरला, रायपुर	01	01
	15.	भिलाई इंजीनियरिंग कार्पो. लि. उरला रायपुर	02	02
	16.	लिगराज स्टील एण्ड पावर प्रा. लि., उरला	01	01
	17.	ईश्वर इस्पात इंड प्रा. लि., उरला, रायपुर	01	01
	18.	गौरव कृष्ण इस्पात प्रा. लि., उरला, रायपुर	01	01
	19.	भवानी मोल्डर्स प्रा. लि., उरला, रायपुर	01	01
	20.	सोनी प्लायवुड इण्डस्ट्रीज, उरला औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर	01	02
		कुल	25	26
2007	1.	एस. के. एस. इस्पात पावर लि. सिलतरा फेस II, रायपुर	05	05
	2.	जगदम्बा पावर एंड एलायज लि., फेस II, सिलतरा, रायपुर	01	01
	3.	सौरभ रोलिंग मिल्स प्रा. लि. अछोली, उरला, रायपुर	01	01
	4.	आलोक फेरो एलायस लि., उरला, रायपुर	01	01
	5.	प्रेम पालिमर्स, औद्यो. क्षेत्र, उरला, रायपुर	01	01
	6.	अशोक इस्पात उद्योग उरला, इंड. एरिया, रायपुर	02	02
	7.	शिवाली उद्योग सेक्टर डी. इंड. एरिया उरला, रायपुर	01	01
	8.	कार्पोरेट इस्पात एलायस लि., सिलतरा, रायपुर	03	03
	9.	गौरव कृष्णा इस्पात प्रा. लि., उरला, रायपुर	01	02
	10.	आर. आर. इस्पात लि. उरला, रायपुर	01	01
	11.	रियल इस्पात एंड पावर लि. बोरझरा उरला, रायपुर	01	01
	12.	गोदावरी पावर एंड इस्पात लि., सिलतरा फेस II, रायपुर	12	04
	13.	ग्रेविटी ट्रेक्जिम प्रा. लि., कन्हेरारोड अछोली, रायपुर	01	01
	14.	श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लि. बोरझरा, धरसींवा, रायपुर	01	01
		कुल	24	25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	1.	रश्मि स्पंज आयरन एण्ड पावर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, फेस II, रायपुर	01	01
	2.	श्री नाकोडा इस्पात लिमिटेड, सिलतरा, फेस II, रायपुर	01	01
	3.	गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लि., सिलतरा, रायपुर	01	08
	4.	श्री आर. बी. स्ट्रीप्स प्रा. लि., उरला, रायपुर	01	01
		कुल	04	11
			53	62

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव —586— 2/2008 —400.